बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–पि0व0 / 4 / आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो0–25–13 / 2022– 70 पटना, दिनांक– 4/9/25

प्रेषक,

एच0 आर0 श्रीनिवास (भा0प्र0से0),
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः– 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, महुआर, बिहटा, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 58,07,20,000 / – (रू0 अंठावन करोड़ सात लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–66 दिनांक–29.12.2021 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवनों (520 आसन) का निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार राज्य स्कीम से प्रति विद्यालय रू0 37,89,00,000 / – (रु0 सैंतीस करोड़ नबासी लाख) मात्र की दर से 09 जिलों में कुल 10 (पटना में दो तथा मुंगेर, मधेपुरा, प० चम्पारण, जमुई, किशनगंज, औरंगाबाद, बांका, एवं नालंदा जिलों में एक–एक) 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के निर्माण हेतु कुल लागत रू0 3,78,90,00,000 / – (रू० तीन सौ अठहत्तर करोड़ नब्बे लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पत्रांक–3042 दिनांक–21.07.2025 के द्वारा पटना जिलान्तर्गत बिहटा अंचल में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु Built Up Area/Rate एवं BCD SOR 2022 के अनुसार दर में वृद्धि होने के कारण Overall Cost में वृद्धि हो जाने का उल्लेख करते हुए तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन कुल राशि रू0 58,07,20,000 / – (रू0 अंठावन करोड़ सात लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

4. अतः सम्यक् विचारोपरान्त 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, महुआर, बिहटा, पटना के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित पुनरीक्षित प्राक्कलन रू० 58,07,20,000 / – (रू0 अंठावन करोड़ सात लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

5. पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में पूर्व की स्वीकृत राशि घटाते हुए अंतर राशि रू0 20,18,20,000 / – (रू० बीस करोड़ अठारह लाख बीस हजार) मात्र का अतिरिक्त व्यय किया जायेगा।

6. उक्त 520 आसनवाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय का भवन निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में तैयार विस्तृत कार्य परियोजना (DPR) के अनुरूप किया जाएगा एवं संबंधित जिला के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को विस्तृत कार्य परियोजना (DPR) की एक प्रति सौंपेंगे। विस्तृत कार्य परियोजना (DPR) तैयार करने वाले एजेंसी का दायित्व होगा कि निर्माण कार्य, फर्निशिंग एवं अनुरक्षण गुणवत्तापूर्ण हो निर्माणोपरान्त सक्षम प्राधिकार को विद्यालय भवन का विधिवत् हस्तांतरण किया जाए।

7. इस योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग के मांग सं0–03 मुख्य बजट शीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य –लघु शीर्ष 051–निर्माण– उपशीर्ष–0118–पिछड़े वर्गो के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार विपत्र कोड–03–4059800510118 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9. इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। वह राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के पी0एल0 खाता में स्थानान्तरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे एवं इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को देंगे।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–02.09.2025 में मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

04/09/25

(एच0 आर0 श्रीनिवास)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– पि0व0/4/ आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो0–25–13/2022– 70 पटना, दिनांक– 4/9/25

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–02.09.2025 में मद संख्या–12 के रूप में सम्मिलित प्रस्ताव एवं स्वीकृति के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(3) सचिव, भवन निर्माण विभाग/अपर मुख्य सचिव, निगरानी विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(7) आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/09/25

प्रधान सचिव।